

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम करोरा, आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या - 113/2019 (Bank Case)

"इण्डिया सेल्टर फाईनेन्स लिमिटेड" जिसका पंजीकृत कार्यालय-6th फ्लोर, प्लॉट नं. 15, इण्डस्ट्रीयल एरिया, सेक्टर-44 गुरुग्राम, हरियाणा-122002
- प्रार्थी / सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. श्रीमति कमलेश पत्नि चम्पालाल (ऋणी)
पता:- सर्वे नं. 073/1011-बी, बापू नगर, कोटा राज०
2. श्री चम्पालाल पुत्र रामगोपाल (सहऋणी)
पता- सर्वे नं.073/1011-बी, बापू नगर कोटा राजस्थान
दूसरा पता- मैन रोड, बारां रोड कोटा-राजस्थान-324004
- अप्रार्थीगण



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्युरिटीजेशन रिकसट्रक्शन आफ फाईनेन्शियल ऐसिटस एण्ड एनफोरमेन्ट आफ सिक्युरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपरिथत

श्री कुलदीप सिंह जादौन, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक: 16.10.2019

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है "इण्डिया सेल्टर फाईनेन्स लिमिटेड" जिसका पंजीकृत कार्यालय-6th फ्लोर, प्लॉट नं. 15, इण्डस्ट्रीयल एरिया, सेक्टर-44 गुरुग्राम, हरियाणा-122002 में स्थित व कार्यरत है, से अप्रार्थी सं० 1 ने दिनांक 14.02.2014 को रूपये 4,00,000/- (अक्षरे: रूपये चार लाख, मात्र) का ऋण लिया था अप्रार्थी सं० 2 ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे अचल सम्पत्ति आवासीय निर्मित भवन जो श्री सर्वे नम्बर Ray-073/1011-बी, बापू नगर, कच्ची बस्ती, तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 824.25 स्क्वायर फुट है, जिसकी चर्तु: सीमा- पूर्व में- खुला, पश्चिम में-रोड़, उत्तर में-रमेश का मकान, दक्षिण में- गुलाब का मकान है, जिसका पट्टा कार्यालय नगर विकास न्यास कोटा द्वारा क्रमांक/ नियमन-आवंटन/2013/1097 दिनांक 19.12.2013 से चम्पालाल पांचाल पुत्र श्री रामगोपाल पांचाल एवं श्रीमति कमलेश बाई पत्नि चम्पालाल पांचाल के नाम से जारीसुदा है, को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थी ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी के खाते को दिनांक. 30.06.2019 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थीगण के खाते मे बकाया राशि 3,29,482/- (अक्षरे रूपये तीन लाख, उन्तीस हजार, चार सौ बयांसी मात्र) बकाया रकम दिनांक 31.07.2019 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्च पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है। प्रार्थी बैंक ने उक्त


जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)

एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 26.07.2019 को नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्त के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं संभलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थी ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 26.07.2019 को नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्त के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 26.07.2019 को नोटिस भी अप्रार्थी को प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्त के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता अचल सम्पत्ति आवासीय निर्मित भवन जो श्री सर्वे नम्बर Ray-073/1011-बी, बापू नगर, कच्ची बस्ती, तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 824.25 स्क्वायर फुट है, जिसकी चर्तुः सीमा- पूर्व में- खुला, पश्चिम में-रोड़, उत्तर में-रमेश का मकान, दक्षिण में- गुलाब का मकान है, जिसका पट्टा कार्यालय नगर विकास न्यास कोटा द्वारा क्रमांक/ नियमन-आवंटन/2013/1097 दिनांक 19.12.2013 से चम्पालाल पांचाल पुत्र श्री राम्रगोपाल पांचाल एवं श्रीमति कमलेश बाई पत्नि चम्पालाल पांचाल के नाम से जारी सुदा है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्त कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 16.10.2019 को सुनाया गया।


(ओम कसेरा)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा